एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स के चयन के लिए एकीकृत दिशा-निर्देश, 2016 :

एलपीजी डस्ट्रीब्यूटरशिप्स के चयन के लिए एकीकृत दिशा-निर्देश, 2016 के तहत बेरोजगार युवाओं सहित सभी भारतीय नागरिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

1. आवेदक भारत का नागरिक और भारत का निवासी हो।
2. मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं अथवा उसके समतुल्य परीक्षा पास की हो। स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ) श्रेणी से संबंधित आवेदकों पर शैक्षणिक योग्यता का मापदंड लागू नहीं है।
3. विज्ञापन की तारीख को आवेदक की आयु 21 वर्ष हो और 60 वर्ष से अधिक न हो।
4. एफएफ श्रेणी के तहत आरक्षित स्थलों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए आयु की कोई सीमा नहीं है।
5. आवेदन की तारीख को ओएमसी कर्मचारी के परिवार का सदस्य नहीं हो।
6. एक से अधिक डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप मानकों को पूरा करता हो।
7. कदाचारों/मिलावट के प्रमाणित मामलों के कारण समाप्त किए गए डिस्ट्रीब्यूटरशिप/ डीलरशिप करार का हस्ताक्षरकर्ता न हो।
8. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को एलपीजी गोदाम बनाने के लिए अपने स्वंय के नाम न्यूनतम आकार का भू-खंड हो अथवा तैयार एलपीजी सिलिंडर के भंडारण हेतु गोदाम हो।

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स के चयन हेतु एकीकृत दिशा-निर्देशों के तहत 6147 स्थलों के लिए पहले ही विज्ञापन दे दिया गया है और अकेली रह रही महिलाओं सहित महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण भी प्रदान किया गया है।

विस्तृत दिशा-निर्देश नामत: 'एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स के चयन के लिए एकीकृत दिशा-निर्देश' वेबसाइट http://www.petroleum.nic.in पर उपलब्ध हैं।

डिजिटल भारत अभियान को बढ़ावा देने के भाग के रूप में और चयन प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता लाने के लिए ओएमसीज ने पहली बार ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने और ऑनलाइन ड्रा निकालने की शुरूआत के साथ चयन प्रक्रिया को फिजिकल से बदलकर डिजिटल बना दिया है।